न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर.ए.एस

अपील सं0 04 सन् 2017

अनवानः—

1. भाग्य श्री पुत्री श्री स्व0 अजयकुमार जाति महाजन मालवाणी निवासी कलाना तहसील भादरा

—अपीलांट

बनाम्

1. सुनील मालवाणी पुत्र बृजमोहन मालवाणी जाति महाजन मालवाणी निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा

— असल रेस्पोडेन्ट

3. रचिता पुत्री अजयकुमार जाति महाजन मालवाणी निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सरीता पत्नी स्व0 अजयकुमार जाति महाजन मालवाणी निवासी नोहर तहसील नोहर।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.01.2017
को अपास्त किये जाने हेतु।

उपस्थितः—1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक —अपीलॉट

2. श्री विजयसिंह कडवासरा अभिभाषक — रेस्पो सं. 1, 2 व 4

निर्णय **दिनांक 17.05.2018**

यह कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2017 बअदालत तहसीलदार राजस्व भादरा एक पक्षीय मनमाना तथा पत्रावली के बिना किसी विश्लेषण एवं विवेचन के विधि की अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्तनीय है। प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 25.01.2017 संलग्न अपील मिमो है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

यह कि अपीलान्ट से सम्बन्धित पक्षकारान का कुर्सीनामा निम्न से है :–

मगनीराम–फौत

↓

गोगीराम उर्फ गोपाल फौत, चतुर्भुज–फौत

↓

सागरमल दतक पुत्र गोपीराम

↓

सागरमल जो गोपीराम के खोले चला गया, नागर–फौत, चानणमल–फौत,

↓ ↓

बृजमोहन–फौत

गुलाबचन्द भगवानदास शिवऔंकार औमप्रकाश,सुशीलकुमार

↓ ↓

अजयकुमार फौत 1991 सुनीलकुमार

↓

सरिता बेवा अजयकुमार

↓

रचिता, भाग्य श्री

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुनीलकुमार मालवानी पुत्र बृजमोहन महाजन साकिन कलाना ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज महाजन निवासी कलाना ने एक वसीयतनामा खुल्ला दिनांक 28.09.2007 को सब रजिस्ट्रार बीकानेर द्वारा पंजीयन शुदा करवाया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का स्वर्गवास दिनांक 29.07.2013 को हो चुका है एवं सार्वजनिक सुचना प्रकाशित करवाई गई एवं वसीयत के दोनो गवाह हाजिर नही आये एवं पटवारी हल्का द्वारा कलाना के ख0नं0 312 की 14.978 हैक्टयर बारानी भूमि में बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज 969 हिस्सा महाजन के नाम खातेदार रिकार्ड दर्ज एवं पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई स्वअर्जित व पैतृक का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही करवाया गया है एवं वसीयत के नामान्तरण दर्ज करने के आदेश मातहत अदालत द्वारा पारित किया गया है परन्तु मातहत अदालत ने बिना किसी रिजंनिग व फाईडिग के बिना सुनवाई का अवसर दिये नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में विधि विरूद्ध तरीके से मुताबिक वसीयत के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किये इसलिये अपीलाधीन आदेश मनमाना व स्वेच्छाचारिता पूर्ण एवं विधि की अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

यह कि मातहत अदालत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वसीयत में दोनो गवाहों के बयान भी नही लिये केवल शपथ पत्र को साक्ष्य मान लिया व वसीयत के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट में स्वःअर्जित व पैतृक भूमि होने के बाबत कोई रिकार्ड उपलब्ध नही करवाया जबकि वसीयत में दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसकी वसीयत नही की जा सकती। इसलिए मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय खारिज योग्य है।

मातहत अदालत ने निर्णय पारित करते समय माईन्ड अप्लाई नही किया केवल वसीयत के आधार पर निर्णय कर दिया। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वसीयतनामा बृजमोहन द्वारा लिखा जो उप पंजीयन कार्यालय से पंजीयन शुदा था, पेश कर मुताबिक वसीयत इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल दर्ज करने से पूर्व वसीयत की गई भूमि की कोई जांच नही की जबकि विवादित भूमि पैतृक भूमि थी। पैतृक भूमि में सुनील कुमार का जन्म से ही हक हिस्सा है। तथा वसीयत के गवाहों के बयान आदि भी नही लिये गये। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो अधुरी थी, पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में भूमि पैतृक है या स्वःअर्जित कुछ भी अंकित नही किया बिना किसी जांच एवं दस्तावेज के अपीलाधीन इंतकाल दर्ज कर दिया जबकि विवादित भूमि पैतृक भूमि है जिसमें अपीलांट का जन्म से ही हक हिस्सा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2017 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि अवश्य थी जिसमें अपीलांट के दादा बृजमोहन के नाम से करीब 105 बीघा भूमि औद हुई। अपीलांट भाग्यश्री के पिता अजय कुमार का स्वर्गवास होने पर अजय कुमार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की पत्नी जो अपीलांट की माता थी ने शादी में दिया गया दहेज आदि(स्त्रीधन) प्राप्त कर अजय कुमार का घर छोडकर अपने पिता के घर पर अपने नाबालिग लडकियों को लेकर रहने लग गई। परन्तु बाद में पुनः पंचायत कर बीमा क्लेम, प्रोविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी वगैरह कुल अनुमानित राशि अपीलांट की माता को दिलाई गई तथा 2400/– रू. पेंशन भी रेस्पो. के पिता ने स्वीकृत करवा दी। इसी भूमि का विवाद भी उपखण्ड अधिकारी के यंहा चला था जिसमें अपीलांट की माता ने रेस्पो. के पिता से राजीनामा किया था। राजीनामा में स्पष्ट लिखा है कि उसे गुजारा भत्ता, पढाई लिखाई का खर्चा व रेस्पो. के पिता से वाद भूमि के बदले नगद राशि भी प्राप्त कर ली थी व भविष्य में कोई हक व हिस्सा विवादित भूमि में नही जताने का राजीनामा किया था। अपनी पुत्रियों को अपने साथ रखने का इकरार किया है। उक्त राजीनामा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में तस्दीक हुआ है। अब अपीलांट भाग्यश्री ने लालचवश यह अपील प्रस्तुत की है। रेस्पो. बृजमोहन को अपनी भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। वकील रेस्पो. ने अपनी ***बहस के समर्थन में डीएनजे के पेज सं. 246–2015 प्रस्तुत किया। इसमे स्पष्ट है कि इंतकाल की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें अधिकार तैय नही होते अगर वह वसीयत से व्यथित है तो सक्षम न्यायालय में वसीयत निरस्त करवा सकते थे तथा आरबीजे (11)2004 पेज सं. 521 से 523 के उद्धरण पेश किये। खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की वसीयत करवाई है तथा इंतकाल की कार्यवाही को रोका नही जा सकता।*** अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जरिये अखबार प्रकाशित करवाई है व वसीयत में दर्ज गवाहों शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीक करवा कर पेश किये गये है। पूर्ण जांच के उपरांत ही इंतकाल दर्ज किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमावें।

हमने बहस सुनी। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही सहायक कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा के यंहा चले राजस्व वाद की पत्रावली भी तलब की जाकर अवलोकन किया गया। यह सही है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है परन्तु अपीलांट की माता ने अपने जीवन काल में अपने पति के फौत होने पर अपना समस्त हक हिस्सा अपने ससुर से प्राप्त कर अपने पिता के यंहा रहने लग गई तथा अपीलांट व रेस्पो. सं. 3 व 4 भी उसके साथ रहने लग गये व अपने ससुर की भूमि में अपना समस्त हक छोड दिया जिसके संबंध में एक राजीनामा भी अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के यंहा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

विचाराधीन वाद मे प्रस्तुत किया था जो तस्दीकशुदा है एवं विचाराधीन वसीयत भी पंजीबद्ध है। यंहा यह नही देखा जाना कि वसीयत वैध है या नही। इस संबंध में तो सक्षम न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त कर सकतें है। वसीतय के आधार पर दर्ज इंतकाल में कोई त्रुटी नही है। अतः हम उक्त आदेश दिनांक 25.01.2017 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप एवं परिवर्तन की आवश्यकता नही समझतें है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर